

## राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या— 2 / 2011–12

विज्ञापन संख्या: 2 / संयुक्त विज्ञापन / भर्ती / 2011–12

दिनांक: 13–05–2011

1. निम्नलिखित पद की भर्ती हेतु निर्धारित ऑनलाइन आवेदन–पत्र (*On-line Application Form*) पर आवेदन–पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:—

विशेष नोट:—(1) On line Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

(2) आरक्षण की स्थिति राज्य सरकार के निर्देशों में दर्शाई गई है जोकि नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

2. **आवेदन प्रक्रिया**— आवेदन On line Application Form में लिये जाएंगे, जिन्हें राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से भरा जा सकता है। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा रुपये 40/- (रुपये 35/- आवेदन–पत्र भरने हेतु + रुपये 5/- परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) की राशि सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी। आवेदक यदि स्वयं अपने स्तर पर ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरना चाहता है, तो वह ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर केवल परीक्षा शुल्क जमा कराकर आयोग की वेबसाइट <http://www.rpsc.gov.in> से स्वयं आवेदन भर सकता है। इस स्थिति में उसे वहाँ परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु मात्र रुपये 5/- ही सेवा शुल्क देना होगा। ऑन–लाइन आवेदन–पत्रों को भरने के लिये अनुदेश व प्रपत्र उक्त वेब–साइट पर उपलब्ध है। कियोस्क द्वारा आवेदन भरवाने पर आवेदक को रुपये 35/- की रसीद पृथक से कटवानी होगी। **हाथ से भरे गए आवेदन–पत्र किसी भी रूप में आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।**

चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिये विभिन्न विषयों में सहायक आचार्य (Assistant Professor)/वरिष्ठ प्रदर्शक (Sr. Demonstrator) के पदों की राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेजिएट ब्रांच) नियम, 1962 के अन्तर्गत भर्ती। पद स्थाई/अस्थाई–स्थाई होने की सम्भावना के हैं। कुल रिक्त पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है:—

क्रम सं.	पद नाम/विषय	रिक्त पदों की संख्या	सामान्य वर्ग	आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के)								निःशक्त जन	मेडिकल पर्सन्स हेतु आरक्षित पद	नॉन मेडिकल पर्सन्स हेतु आरक्षित पद				
				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति										
				सा.	म.	सा.	म.	सा.	म.	सा.	म.							
<b>सहायक आचार्य:—</b>																		
1	सर्जिकल गेस्ट्रोएण्ट्रोलोजी	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	नियोनोटोलोजी	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	यूरोलोजी	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	जनरल सर्जरी	33	17	6	3	-	1	-	5	1	1	-	-	-	-			
5	एनाटोमी	6	3	1	1	-	-	-	1	-	-	4	2	-	-			
6	मानसिक रोग (साइकाइट्री)	9	5	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-			
7	फोरेंसिक मेडिसिन	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>वरिष्ठ प्रदर्शक:—</b>																		
8	एनाटोमी	10	4	1	3*	1	-	-	1	-	-	7	3	-	-			
9	फिजियोलोजी	18	9	4	1	-	1	-	3	-	1	12	6	-	-			
10	बायोकेमिस्ट्री	13	6	2	2	-	1	-	2	-	-	7	6	-	-			
11	फार्माकोलोजी	11	5	1	-	-	3*	-	2	-	-	8	3	-	-			
12	माइक्रोबायोलोजी	13	8	3	1	-	1	-	-	-	-	9	4	-	-			
13	पैथोलोजी	27	12	4	2	-	3	1	4	1	1	-	-	-	-			
14	कम्यूनिटी मेडिसिन (पी. एण्ड एस.एम.)	20	9	3	3	-	2*	-	3	-	-	-	-	-	-			
15	दन्त	10	4	1	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-			

संक्षिप्ताक्षर— सा.= सामान्य, म.= महिला

नोट:— (1) पदों का वर्गीकरण शासन के बताए अनुसार किया गया है।

- (2) \* वरिष्ठ प्रदर्शक—एनाटोमी, फार्माकोलोजी, कम्यूनिटी मेडिसिन के पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक—एक पद बैकलॉग का पद है जो कि दिनांक 10.10.2002 के पश्चात् का है।
- (3) एनाटोमी, फिजियोलोजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलोजी, एवं माइक्रोबॉयोलोजी विषयों के पदों में Medical Persons /Non Medical Persons के पद भी आरक्षित हैं जोकि नियमानुसार भरे जा सकते हैं।
- (4) उपरोक्त सारणी में राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये दर्शाए गए बैकलॉग/वर्तमान के आरक्षित पदों, जो कि दिनांक 10–10–02 के पश्चात् के हैं, हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को किन्हीं भी परिस्थितियों में सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जाएगा और इन आरक्षित विषयों को तब तक अग्रणीत किया जाएगा जब तक यथास्थिति अनुसूचित जाति के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाते। बैकलॉग के पदों का विज्ञापित वर्ष ही चयन वर्ष माना जावेगा।

(5) **निःशक्त व्यक्तियों के लिए :—**

- (अ) राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार उपरोक्त दर्शाई गई अक्षमताओं की प्रकृति वाले अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है :—

#### **Locomotor Disability & cerebral palsy (L.D. & C.P.)**

O.L.- One leg affected (R or L)

(a)impaired reach (b) weakness of grip (c) at axic

- (ब) निःशक्तजन के लिए दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षेत्रिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।

- (स) उपरोक्त दर्शाएं गए निःशक्तजन के आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इन पदों को राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार भरा जाएगा। निःशक्तजन के उक्त नियम के नियम 5 (4) के अनुसार उपरोक्त निःशक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण या अन्य किसी भी पर्याप्त कारण से पद भरा नहीं जा सकता हो वहाँ ऐसी रिकॉर्ड को 3 भर्ती वर्षों तक अग्रणीत किया जाएगा।
- (द) निःशक्तजन आवेदक On line Application Form में यथास्थान पर अपने वर्ग एवं निःशक्तता की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।
- (य) ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी में आते हैं, अपनी निःशक्तता के सम्बन्ध में राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के नियमानुसार राजस्थान राज्य के किसी राजकीय अस्पताल के गठित मेडिकल बोर्ड (राजस्थान राज्य सरकार के नियमानुसार गठित तीन चिकित्सा अधिकारी वाला बोर्ड) द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों के नियोजन नियम, 2000 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण—पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता का होने पर ही आवेदक निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।
- (6) महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (category wise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बन्धित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा।
- स्पष्टीकरण:**—किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का नॉन—क्रीमीलेयर का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण—पत्र मान्य नहीं होगा।
- (7) राजस्थान के पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
- (8) विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी करते हुए भर्ती की कार्यवाही की जा सकती है।
- (9) आवेदक को प्रत्येक पद के लिए पृथक—पृथक आवेदन पत्र भेजना आवश्यक है।

#### शैक्षणिक योग्यताएँ:

- क्रम संख्या 1 के पद के लिए योग्यताएँ:**—(i) एम.सी.एच. (सर्जिकल गेस्ट्रोएण्ट्रोलोजी) / एम.एस.(सर्जरी) साथ सर्जिकल गेस्ट्रोएण्ट्रोलोजी में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण
- (ii) सम्बन्धित विषय में अपेक्षित मान्यता प्राप्त विशेषज्ञता में योग्यता (रिक्विजिट रिकोग्नाईज्ड स्पेशियलाइजेशन क्वालिफिकेशन इन दी सब्जेक्ट)
- (iii) **अनुभव:**—मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में सर्जिकल गेस्ट्रोएण्ट्रोलोजी में रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमोस्ट्रेटर/ट्यूटर के रूप में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव।
- क्रम संख्या 2 के पद के लिए योग्यताएँ:**— (i) डी.एम.(नियोनोटोलोजी ब्रेकर) / एम.डी..(पेडियाट्रिक्स) साथ नियोनोटोलोजी में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण
- (ii) सम्बन्धित विषय में अपेक्षित मान्यता प्राप्त विशेषज्ञता में योग्यता (रिक्विजिट रिकोग्नाईज्ड स्पेशियलाइजेशन क्वालिफिकेशन इन दी सब्जेक्ट)
- (iii) **अनुभव:**—मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में नियोनोटोलोजी में रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमोस्ट्रेटर/ट्यूटर के रूप में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव।
- क्रम संख्या 3 के पद के लिए योग्यताएँ:**— (i) एम.सी.एच. (यूरोलोजी) (ii) सम्बन्धित विषय में अपेक्षित मान्यता प्राप्त विशेषज्ञता में योग्यता (रिक्विजिट रिकोग्नाईज्ड स्पेशियलाइजेशन क्वालिफिकेशन इन दी सब्जेक्ट)
- (iii) **अनुभव:**—मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में संबंधित विषय में रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमोस्ट्रेटर/ट्यूटर के रूप में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव परन्तु जिन्होंने दो वर्षों डी.एम. पाठ्यक्रम राजस्थान विश्वविद्यालय से किया है, के लिए अध्यापन अनुभव दो वर्ष का होगा।
- क्रम संख्या 4 के पद के लिए योग्यताएँ:**— (i) एम.एस.(सर्जरी) / एम.एस.(जनरल सर्जरी) ।
- क्रम संख्या 5 के पद के लिए योग्यताएँ:**— (i) एम.एस. (एनाटोमी) / एम.डी. (एनाटोमी) / एम.बी.बी.एस. विद एम.एस.सी. (एनाटोमी) / एम.एस.सी. (मेडि. एनाटोमी) विद पीएच.डी. (मेडि.एनाटोमी) / एम.एस.सी. (मेडि. एनाटोमी) विद डी.एस.सी. (मेडि. एनाटोमी) ।
- क्रम संख्या 6 के पद के लिए योग्यताएँ:**—(i) एम.डी.(साईकार्ड्री) / एम.डी.(साईकालोजिकल मेडि.) / एम.डी. मेडिसिन में साथ साईकालोजिकल मेडि. में डिप्लोमा ।
- क्रम संख्या 7 के पद के लिए योग्यताएँ:**— (i) एम.डी.(फोरेंसिक मेडि.) ।
- क्रम संख्या 4 से 7 तक के पदों हेतु द्वितीय योग्यता एवं अनुभव:**—
- (ii) संबंधित विषय में अपेक्षित मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर में योग्यता (रिक्विजिट रिकोग्नाईज्ड पोस्ट ग्रेज्युएट क्वालीफिकेशन इन दी सब्जेक्ट)।
- (iii) **अनुभव:**—मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में संबंधित विषय में रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमोन्स्ट्रेटर/ट्यूटर के रूप में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव।
- क्रम संख्या 1 से 7 तक के पदों की योग्यता के सम्बन्ध में आवश्यक नोट:**—
- आवेदकों को सम्बन्धित विषय में मेडिकल काउसिल ऑफ इडिप्या से मान्य अपेक्षित स्नातकोत्तर/विशेषज्ञता में योग्यताएँ अथवा राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातकोत्तर/विशेषज्ञता में योग्यताएँ प्राप्त होनी चाहिए। अभ्यर्थी को राज्य/केन्द्र के मेडिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड भी होना चाहिए।
- क्रम संख्या 8 के पद के लिए योग्यता:**— एम.बी.बी.एस. / एम.एस.सी.(मेडिकल एनाटोमी) फॉर नॉन—मेडिकल परसन्स।
- क्रम संख्या 9 के पद के लिए योग्यता:**— एम.बी.बी.एस. / एम.एस.सी.(मेडिकल फिजियोलोजी) फॉर नॉन—मेडिकल परसन्स।
- क्रम संख्या 10 के पद के लिए योग्यता:**— एम.बी.बी.एस. / एम.एस.सी.(मेडिकल बायोकेमिस्ट्री) फॉर नॉन—मेडिकल परसन्स।
- क्रम संख्या 11 के पद के लिए योग्यता:**— एम.बी.बी.एस. / एम.एस.सी.(मेडिकल फार्माकोलोजी) फॉर नॉन—मेडिकल परसन्स।
- क्रम संख्या 12 के पद के लिए योग्यता:**— एम.बी.बी.एस. / एम.एस.सी.(मेडि. माइक्रोबायोलोजी) फॉर नॉन—मेडिकल परसन्स।
- क्रम संख्या 13 एवं 14 के पदों के लिए योग्यता:**— एम.बी.बी.एस.।
- क्रम संख्या 15 के पद के लिए योग्यता:**— बी.डी.एस. प्रीफरेबली विद एम.बी.बी.एस.।
- क्रम संख्या 8 से 15 तक के पदों की योग्यता के सम्बन्ध में आवश्यक नोट:**—
- अभ्यर्थी को राज्य/केन्द्र के मेडिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड भी होना चाहिए।
- समस्त पदों की योग्यताओं के साथ यह परन्तुक भी लागू होगा कि:**
- परन्तु यह कि उपरोक्त पदों की योग्यता के पाठ्यक्रम की अंतिम वर्ष की परीक्षा, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में यथा उल्लिखित पदों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता है, में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवदन

करने के लिए पात्र होगा किन्तु उसे आयोग को साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।

**स्पष्टीकरण:-** यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे जो आवेदक आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे एवं पद की वांछित योग्यता की अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले हैं।

3. **आयु :-**—दिनांक 01-01-2012 को 37 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करनी चाहिए सिवाय डी.एम./एम.सी.एच. न्यूनतम अर्हता अपेक्षित करने वाले पदों के लिये अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष होगी लेकिन ऊपर लिखी अधिकतम आयु सीमा में :-

1. राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार :-

“यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।”

**स्पष्टीकरण :**

- (i) आयोग द्वारा वर्ष 2008 में **सहायक आचार्य-यूरोलोजी** के पद विज्ञापित किये जाकर उनकी आयु सीमा की गणना 01.01.2009 को की गई थी। तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः उक्त प्रावधानानुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2012 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट देय होगी।
- (ii) आयोग द्वारा वर्ष 2002 में **सहायक आचार्य-फोरेंसिक मेडिसिन** एवं **मानसिक रोग**, वर्ष 2003 में **सहायक आचार्य-एनाटोमी** एवं वर्ष 2005 में **सहायक आचार्य-जनरल सर्जरी** के पद विज्ञापित किये गये थे। तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः उक्त प्रावधानानुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2012 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी।
- (iii) आयोग द्वारा वर्ष 2005 में **विरिच्च प्रदर्शक-एनाटोमी, फिजियोलोजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलोजी, मार्झिकोबॉयलोजी, पैथालोजी, कम्प्यूनिटी मेडिसिन (पी.एण्ड एस.एम.)** एवं **दन्त के पद विज्ञापित किये गये थे।** तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः उक्त प्रावधानानुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2012 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी।

2. राज्य सरकार आयोग से परामर्श लेकर अपवादीय मामलों में 5 वर्ष की छूट देय सकती है।

3. ऊपर उल्लिखित अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित पदों के अनुसार निम्नानुसार छूट देय होगी :-

- (क) जिन विषयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के सामान्य पद आरक्षित हैं उन विषयों हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को आयु में 5 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु जिन विषयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी।
- (ख) जिन विषयों में सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों के पद आरक्षित हैं उन्हीं विषयों की सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट देय है परन्तु जिन विषयों में सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों के पद आरक्षित नहीं हैं उन्हें आयु सीमा में इस छूट का लाभ देय नहीं होगा।
- (ग) जिन विषयों में राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के पद आरक्षित हैं उन्हें 10 वर्ष की छूट देय होगी और जिन विषयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये पद आरक्षित नहीं है परन्तु जिन वर्गों के सामान्य पद आरक्षित हैं तो उन वर्गों की महिला अभ्यर्थियों को केवल 5 वर्ष की छूट देय होगी तथा जिन विषयों हेतु राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग के सामान्य पद एवं महिला के पद आरक्षित नहीं हैं उन विषयों हेतु महिला अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट का लाभ देय नहीं होगा।

4. इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जाएगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपरिथिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जाएंगे।

5. कैडेट इन्स्ट्रक्टर्स के मामले में उतने ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणमित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जाएगा।

6. राजस्थान राज्य के कारोबार में संरक्षण (सब्कर्टेंटिव) रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी तथा जहां पद के लिये न्यूनतम अर्हता डी.एम./एम.सी.एच. अपेक्षित है, के पदों के लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी।

7. रिलीज्ड इमर्जेंसी कमीशेण्ड ऑफिसर्स/शॉर्ट सर्विस कमीशेण्ड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद हेतु आयु सीमा में थे तो उन्हें सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपरिथिति के समय आयु सीमा के अन्तर्गत ही समझा जाएगा चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करते समय इस प्रकार पात्र थे।

8. पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपकरणों/निगमों के कार्य कलापों के संबंध में संस्थाई रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

9. राजस्थान निःशक्तजन का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार इन सहायक आचार्य-जनरल सर्जरी तथा विरिच्च प्रदर्शक-फिजियोलोजी एवं पैथालोजी के पदों के समने विज्ञापन में दर्शाई गई श्रेणी के निःशक्त व्यक्तियों को, पहले से ही सेवा नियमों में विहित शिथिलीकरण को सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित रूप से शिथिलीकृत किया जा सकता:-

- (क) सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष,

- (ख) पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 13 वर्ष; और

- (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 15 वर्ष की छूट दी जावेगी।

**नोट:-** उपरोक्त पैरा के प्रावधान संख्या 2 से 9 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाएगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा।

**वेतनमान :-क्रम संख्या 1 से 7 तक के पदों के लिये:-** रनिंग पे बेण्ड-3 (15600-39100), ग्रेड पे सं. 17 (रु.6600/-)

**क्रम संख्या 8 से 15 के पदों के लिये:-** रनिंग पे बेण्ड-3 (15600-39100), ग्रेड पे सं.15 (रु. 5400/-)

“ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदर्भ किया जाएगा और पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, संबंधित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जाएगा।

**अग्रिम वेतन वृद्धि/उच्च वेतन :** नहीं। **कार्य :** शिक्षण एवं चिकित्सकीय कार्य। **परिवीक्षा काल :** (प्रोबेशन)/प्रशिक्षण/अन्य सुविधाएँ : नियमानुसार। **महंगाई भत्ता :** नियमानुसार। **मुख्यालय :** राजस्थान राज्य के किसी भी राजकीय मेडिकल कॉलेज में। **पेशन :-** दिनांक 01-01-2004 से नये भर्ती/नियुक्त होने वाले नये राज्य कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेशन योजना लागू होगी।

4. **अन्तिम दिनांक :-** 10 जून, 2011 को रात्रि 12-00 बजे तक (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।) आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑन-लाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑन-लाइन आवेदन करें।

##### **5. संवीक्षा परीक्षा का स्थान, माह एवं योजना :-**

निर्धारित अनिवार्य योग्यताएँ न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। जब किसी विज्ञापन के अधार पर प्राप्त आवेदन—पत्रों की संख्या अधिक होगी और आयोग के लिए इन सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करना सुविधाजनक या संभव नहीं होगा तो आयोग विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं और अनुभव से उच्च योग्यताओं और अनुभव के अधार पर अथवा संवीक्षा परीक्षा द्वारा साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की संख्या यथोचित सीमा तक कम कर सकता है।

संवीक्षा परीक्षा वस्तुपरक प्रकार (Objective Type) की होगी और अजमेर में आयोजित की जाएगी, जिसकी तिथि आवेदन की अंतिम तिथि के उपरांत यथाशीघ्र रखी जाएगी। परीक्षा तिथि/साक्षात्कार तिथि की सूचना भी शीघ्र जारी की जाएगी। संवीक्षा परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र का आवंटन अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को वृद्धिगत रखते हुए किया गया है। आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन कर सकता है। यदि आवेदन—पत्रों की संख्या अधिक होती है तो परीक्षा केन्द्र का निर्धारण अजमेर जिले से बाहर अन्य जिलों में भी किया जा सकता है।

##### **6. परीक्षा शुल्क :— आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई—मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से आयोग को भेजें—**

(क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग /विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु — रूपये 250/-

(ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु— रूपये 150/-

(ग) समस्त निःशक्तजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आवेदक हेतु— रूपये 50/-

**नोट :—** 1. ऑनलाइन आवेदन का निर्धारित सेवा शुल्क रूपये 40/- (रु. 35 आवेदन पत्र भरने हेतु + रूपये 5/- परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) अतिरिक्त रूप में सभी को देने होंगे।

2. ऑनलाइन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक आवेदन—पत्र का प्रारूप आयोग की वेबसाईट से डाउनलोड कर लें और उसे ऑनलाइन आवेदन से पूर्व हाथ से भर लें। यह प्रारूप ई—मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर निःशुल्क उपलब्ध होगा।

3. आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिंट आउट लेकर आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही—सही भरी गई हैं।

4. आवेदकों की सुविधा के लिए राज्य के समस्त ई—मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) की सूची आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध है। राजस्थान राज्य से बाहर के अभ्यर्थी जहाँ ई—मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) नहीं हैं वे आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध सूची से उनसे व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हैं। उनकी सुविधा के लिए उनके दूरभाष नम्बर भी उपलब्ध हैं।

5. अभ्यर्थी को प्रत्येक पद के लिये पृथक—पृथक आवेदन करना होगा।

##### **7. आवेदन कैसे करें :— अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।**

**नोट :—** राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के अभ्यर्थी तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी के रूप में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

##### **8. अनापत्ति प्रमाण—पत्र के सम्बन्ध में :— सभी आवेदक, चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपकरणों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हों, को अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिये आवेदन करने के पूर्व ही लिखित में सूचित कर परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिये। यदि नियोक्ता द्वारा आयोग को आवेदक द्वारा सूचना/अनुमति हेतु आवेदन नहीं किये जाने की अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने हेतु सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता तुरन्त प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।**

##### **9. नियुक्ति के लिये अयोग्यता :—**

1. किसी भी ऐसे पुरुष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो,, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जाएगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार सन्तुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है।

2. किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है।

3. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1—6—2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :—

परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती :

परन्तु यह और कि जहाँ किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहाँ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जाएगा।

परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी ।

4. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह—13/2006 दिनांक 22—5—2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण—पत्र यथा समय वांछनीय होगा।

5. किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा।

**स्पस्तीकरण :—** इस नियम के प्रयोजन हेतु “दहेज” से यही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में दिया गया है। (1961 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 28)

6. आयोग द्वारा किसी भी परीक्षा में विचित (Debar) किए गए ऐसे आवेदक जिनके विचित (Debar) होने की अवधि आवेदन—पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।

##### **10. अनुचित साधनों की रोकथाम:—**परीक्षार्थी को आयोग/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिए गए निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध आयोग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत एवं आयोग द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/dissorderly conduct/Using/ attempting to use unfairmeans during the course of examination" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना आयोग की वेब साईट पर दी गई है।

**11. श्रुतलेखक (Scribe) की सुविधा** :- सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न-उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे। केवल राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 में वर्णित नेत्रहीन व ऐसे निःशक्त व्यक्ति जो स्वयं अपने हाथ से प्रश्नों के उत्तर लिखने में असमर्प है, उन्हें परीक्षा के पूर्व आयोग कार्यालय को प्रार्थना-पत्र वाचित प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत करने पर आयोग द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा देय होगी। श्रुतलेखक को वीक्षक, केन्द्राधीक्षक व अभ्यर्थी को आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही कार्य करना होगा।

**12. कृपया ध्यान दें :-**

- i **On line Application Form** आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होने पर स्वीकार किया जाएगा। आवेदक आवेदन-पत्र प्रेषित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाहीं गई आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही-सही एवं पूर्ण भरी गई हैं। समस्त प्रविष्टियाँ पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में आयोग द्वारा आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा **On line Application Form** में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- ii आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि **On line Application Form** भरने से पूर्व आयोग के विज्ञापन एवं **On line Application Form** भरने के निर्देशों के साथ-साथ संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें।
- iii आयोग कार्यालय द्वारा **On line Application Form** में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही आवेदक की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका **On line Application Form** अस्वीकृत कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। **On line Application Form** में की गई प्रविष्टियों में अन्तिम दिनांक के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाएगा।
- iv विज्ञापित पदों के विरुद्ध अधिक संख्या में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर उन पदों की संवीक्षा परीक्षा आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी। संवीक्षा परीक्षा के उपरांत सफल आवेदकों को आयोग द्वारा विस्तृत आवेदन-पत्र भेजकर भरवाया जाएगा। आवेदकों से विस्तृत आवेदन-पत्र मय आवश्यक दस्तावेज के प्राप्त होने पर उनकी नियमानुसार परिनिरीक्षा किए जाने के पश्चात पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

**13. प्रमाण-पत्रों का सत्यापन** :- आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन) का लाभ निम्न स्थिति में ही देय होगा जिसके प्रमाण में आवेदक को प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ (जो कि संवीक्षा परीक्षा में सफल होने पर अथवा सीधे साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले आवेदकों से भरवाए जाएंगे।) भेजना आवश्यक है। अतः यह सुनिश्चित कर लें कि :-

- (अ) जाति प्रमाण-पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया हुआ है।
- (ब) पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नौन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियाँ सही-सही एवं पूर्ण भरी गई हैं।
- (स) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन का प्रमाण-पत्र **On line Application Form** प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिए अन्यथा अंतिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण-पत्रों के अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जाएगा।
- (द) राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को **On line Application Form** पर सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करना होगा।
- (य) पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर क्रमशः दिनांक 10.10.08 एवं 25.08.09 के पश्चात जारी किया हुआ हो। पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसे आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। पति की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- (र) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे इस वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम से जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं है।
- (ल) निःशक्त जन का चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र जिसमें निःशक्त जन की चिन्हित श्रेणी का अवश्य उल्लेख हो जो कि **On line Application Form** की प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक का जारी किया हुआ होना चाहिए।

**नोट** :- आयोग द्वारा आवेदकों को संवीक्षा परीक्षा/साक्षात्कार में अनन्तिम (**Provisional**) रूप से प्रवेश दिया जाएगा। संवीक्षा परीक्षा/साक्षात्कार में केवल मात्र उसे प्रवेश-पत्र/साक्षात्कार-पत्र जारी करने से यह मतलब नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में की गयी प्रविष्टियाँ आयोग द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं। आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय अथवा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य शर्तें आदि के कारण उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इन पदों हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी।

#### **आयोग की वेबसाइट:-**

उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट <http://www.rpsc.gov.in> पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी एवं संवीक्षा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष 0145-5151200 एवं 5151240 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

#### **विशेष टिप्पणी :-**

- (1) परीक्षार्थी परीक्षा के समय प्रश्न पत्र में रही किसी भी त्रुटि अथवा किसी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में परीक्षा समाप्ति के पश्चात 72 घण्टे में (तीन दिवस) के भीतर अपना लिखित अभ्यावेदन/शिकायत स्पीड पोस्ट के माध्यम से सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को प्रस्तुत कर दें। नियत समय में प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन/शिकायत पर आयोग द्वारा यथोचित कार्यवाही की जावेगी। तीन दिवस के पश्चात प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर आयोग द्वारा किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।
- (2) कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आए। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए आवश्यक जैसे पेन, पेंसल, प्रवेश-पत्र या आयोग द्वारा निर्देशित सामग्री ही कक्ष में ले जा सकता है। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य अनावश्यक वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान लोक सेवा आयोग किसी की भी नहीं होगी।

- (3) जिस परिसर के भीतर भर्ती परीक्षण आयोजित किया जा रहा है, वहां मोबाइल फोन, पेजर्स या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित उम्मीदवार के खिलाफ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।
- (4) उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे भर्ती परीक्षण स्थल पर मोबाइल फोन/पेजर्स सहित प्रतिबंधित वस्तुएं साथ नहीं लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।
- (5) इन पदों से संबंधित समस्त सूचनाएं आवेदकों को विज्ञापन में ही उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- (6) आयोग को आवेदन—पत्र भेजने हेतु एवं अन्य पत्र व्यवहार करते समय निम्नलिखित पते का उल्लेख करें :—  
सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर पिन कोड नं. 305026.

(के.के. पाठक)  
सचिव